उत्तर रेलवे

230–विद्युत लोको परिचालन / दिल्ली / तकनीकी–24 / 2022 मण्डल कार्यालय
दिनांकः–25/01/2023 नई दिल्ली

तकनीकी ड्राईव–DLI/RSO-04/2022

विषय :– लोको की छत पर फ्लैशिंग, असामान्य आवाज व नो टेंशन होने पर कार्यवाही के संबंध में।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक अपने नामित व गैरनामित लोको पायलट , लोको पायलट शंटिंग व सहायक लोको पायलट को ओएचई में आपूर्ति की ट्रिपिंग के संभावित कारणों के लिए काउन्सलिंग करे। सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई निम्नानुसार हैः

(1) यदि लोको की छत पर फ्लैशिंग या असामान्य आवाज आती है या ओ.एच.ई वायर हिलती हुयी दिखती है तो OHE या पैंटोग्राफ को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में लोको पायलट को जेडपीटी को '0' स्थिति पर करेगा तथा पैंटोग्राफ को तुरंत बैठा देगा। आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका जाना चाहिए या ड्राइवर डेस्क में प्रदान किए गए बीपीईएमएस को तुरंत दबाएं। यह पैंटोग्राफ उलझने पर ओएचई को नुकसान से बचाएगा। लोको का पैण्टोग्राफ एवं ओ.एच.ई. की भलीभांति जाँच कर तथा टीएलसी/टीपीसी से बात करने के बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ाया जाएगा।

(2) **ओएचई में क्षणिक ट्रिपिंग के मामले में :-**

(i) यदि ट्रेन वर्किंग के दौरान लोको में कोई क्षणिक ट्रिपिंग होती है तो सर्वप्रथम ओ.एच.ई. मीटर देखेगा। यदि ओ. एच.ई. मीटर में वोल्टेज है तो लोको पायलट अपने स्वयं के और आसन्न पटरियों और ओएचई पर एक तेज नज़र रखेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि पैंटोग्राफ और ओएचई सामान्य हैं। एएलपी मशीन रूम/एचटीसी और सेफ्टी रिले आदि में किसी भी असामान्यता के लिए अपने लोको की भी जांच करेगा। किसी भी असामान्यता के लिए ट्रेन के गार्ड को एलपी/एएलपी द्वारा तदनुसार सूचित किया जाएगा। यदि सब कुछ सामान्य देखा जाता है, तो एलपी वीसीबी को बंद कर देगा और सामान्य कर्षण फिर से शुरू करेगा। लेकिन यदि कोई असामान्यता पाई जाती है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और पैरा जी एंड एसआर 6.03 और जीआर 9.10 में निहित निर्देशों के अनुसार तुरंत सुरक्षा की जाएगी।

(ii) यदि प्रथम बार ओ.एच.ई. ट्रिपिंग के बाद दुबारा वी.सी.बी. बंद करने पर फिर से फ्लैशिंग या असामान्य आवाज के साथ ट्रिपिंग होती है तथा ओ.एच.ई. वोल्टेज ओ.एच.ई. मीटर में नहीं दिखाता तो गाड़ी को खड़ी करेंगे। किसी भी असामान्यता के लिये लोको व ओ.एच.ई. की जाँच करेंगे साथ ही साथ इसकी सूचना टी.एल.सी. को देंगे। फिर से वी.सी.बी. बंद करने का प्रयास नहीं करेंगे तथा टी.एल.सी. के आदेशानुसार कार्य करेंगे।

(3) **यदि ओएचई में ट्रिपिंग क्षणिक नहीं है :-**

(i) चालक दल को फ्लैशर लाइट को चालू करना होगा और ट्रेन की गति को नियंत्रित करके खड़ी करेंगे तथा टी.एल.सी. को सूचित करेंगे।

(ii) ट्रेन को रोकने के बाद, यदि OHE नहीं आती है तो चालक दल ओएचई नहीं होने का कारण जानने के लिए सीधे या टीएलसी के माध्यम से टीपीसी / कंट्रोल के से बात करेगा। लोको पायलट कंट्रोलर/ टी एल सी की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सभी चालक दल को तेजी से संचार के उद्देश्य से बीएसएनएल/एमटीएनएल और उन खंड के टीपीसी/टीएलसी के मोबाइल नंबरों से परिचित होना चाहिए. जिन पर वे LR कर रहे हैं। इन्हें अपने मोबाइल फोन में सेव किया जाना चाहिए।

(iii) यदि चालक दल तुरंत टीपीसी/कंट्रोल/टीएलसी से संपर्क करने में असमर्थ है, तो लोको पायलट सहायक लोको पायलट को लोको व गाड़ी जाँच के लिए भेजेगा। सहायक लोको पायलट व गार्ड किसी भी असामान्यता के लिए लोड की जाँच करेंगे।

(iv) एएलपी एंड गार्ड द्वारा ट्रेन की जांच करने के बाद, यदि कोई असामान्यता पाई जाती है, तो टीपीसी/कंट्रोल/टीएलसी को एलपी/गार्ड (संचार के किसी भी उपलब्ध साधन के माध्यम से) द्वारा सूचित किया जाएगा और यदि कोई सहायता की आवश्यकता है, तो वह भी नियंत्रण कार्यालय को बताएगा। वे नियंत्रण कार्यालय की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यदि आवश्यक हो तो जीआर 6.03 और जीआर 9.10 के अनुसार एलपी और गार्ड द्वारा ट्रेन की सुरक्षा की जाएगी।

(v) यदि एएलपी एंड गार्ड द्वारा कोई असामान्यता नहीं देखी जाती है, तो लोको की फ्लैशर लाइट को 'बंद' कर दिया जाएगा।

(vi) यदि इस बीच OHE सप्लाई आ जाती है तो एलपी एएलपी को लोको पर वापस बुलाएगा और गार्ड के ब्रेक वैन में वापस पहुंचने के बाद गार्ड से सिग्नल प्राप्त करने के बाद सामान्य कर्षण फिर से शुरू करेगा।

(vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, चालक दल लोको और गाड़ी को लुढ़कने से बचाने के लिए एसआर 5.23/3(C) व जी एण्ड एसआर Amendement Slip no. 157 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(viii) OHE सप्लाई आने के बाद गाड़ी में बीपी/एफपी प्रेशर पूरा होने पर लोको पायलट व गार्ड निरंतरता परीक्षण करेंगे। गाड़ी तथा लोको के ब्रेक रिलीज़ होने के पश्चात ही पुनः प्रस्थान करेंगे। ट्रेन को फिर से शुरू करने के बाद एलपी द्वारा ब्रेक पावर और फील टेस्ट भी किया जाना चाहिए।

(ix) दिल्ली डिवीज़न में किसी भी ओएचई असामान्यता/ट्रिपिंग/उतार-चढ़ाव के दौरान तेजी से संचार के लिए-

दिल्ली डिवीज़न में ट्रेन के संचालन के दौरान, यदि ओएचई ट्रिपिंग या किसी अन्य परेशानी का अनुभव करते हैं तो लोको पायलट तुरंत प्रथम ट्रिपिंग के समय ही इसकी सुचना निम्नलिखित मोबाइल नं पर TLC/NDLS को सूचित करेंगे। निम्नलिखित सीयूजी और रेलवे लैंडलाइन टेलीफोन नंबर नई दिल्ली सीटीएलसी कार्यालय में काम कर रहे हैं ..

- तीन आपातकालीन मोबाइल नंबर (केवल इनकमिंग कॉल के लिए)।
  (1) 09717634213
  (2) 09717632067
  (3) 09717648842
- सीयूजी मोबाइल फोन नं.
  (1) टीएलसी मेल= 09717632022
  (2) टीएलसी होल्डिंग = 09717632450
  (3) टीएलसी गुड्स =09717632708
- रेलवे के लैंडलाइन नंबर जिन्हें मोबाइल से कोड जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है।
  (1) 27321=01142627321
  (2) 27322=01142627322
  (3) 27323=01142627323
  (4) 26253=01142626253
- टी.पी.सी. फोन नं.
  (1) 9717632843
  (2) 9717648529

❖ सभी वरिष्ठ चालक दल नियंत्रक को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त सभी नंबरों को रनिंग स्टाफ के बीच व्यापक प्रचार के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें

अतः समस्त मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिये जाते है कि अपने नामित/गैर नामित रनिंग स्टॉफ को उपरोक्त विषय में काउंसलिंग करें व अपनी काउंसलिंग रिपोर्ट लिखित रूप से दिनांक 24.02.2023 तक मण्डल कार्यालय में दें।

25/1/23

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ।
2. मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली – सूचनार्थ।
3. सहायक मण्डल विद्युत अभियंता/परि./नई दिल्ली – सूचनार्थ।
4. मुख्य कर्षण लोको नियंत्रक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे– सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य लोको निरीक्षक–गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकूरबस्ती एवं तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
6. समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड– सूचनार्थ।
7. बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद–आवश्यक कार्यवाही हेतू।
8. विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/चिपियाना/गाजियाबाद/उत्तर रेलवे–आवश्यक कार्यवाही हेतू।